

सेवायोजन विभाग, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, निदेशालय
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)
पत्रांक / डीटीईयू(सेवा0)/ई-1/स्थाना0/2022
दिनांक 05 जुलाई 2022
कार्यालय-आदेश

एतद्वारा उत्तराखण्ड लोक-सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित नव तैनाती स्थल हेतु इन प्रतिबन्धों के साथ स्थानान्तरण किया जा रहा है कि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (Joining time) के अवकाश का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक को इस अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा और स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जुलाई -2022 का वेतन उनके नव तैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।

क्र०स०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव तैनाती कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	श्रीमती ममता चौहान नेगी	सहायक निदेशक	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी	क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लैन्सडौन	स्वयं के अनुरोध पर

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

नोट- अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(बी०एस०चलाल)
निदेशक, सेवायोजन

पृष्ठांकन 2136-43 / डीटीईयू(सेवा0)/ई-1/स्थाना0/2022 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. महालेखाकार ओबराय मोटर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड़ माजरा देहरादून।
3. उपनिदेशक सेवायोजन, 26 ई०सी० रोड़ सर्वे चौक देहरादून।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी सम्बन्धित क्षेत्र
5. क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी लैन्सडौन।
6. बेव इन्फोरमेशन मैनेजर/क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (10) के अधीन स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 02 दिन के अन्दर उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित (अपलोड) करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित कार्मिक हेतु।
8. गार्ड पत्रावली निदेशालय (सेवा0)।

(बी०एस०चलाल)
निदेशक, सेवायोजन